



महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक : रू.वि./सम्ब. 2021-22/3690-93

दिनांक : 21.12.2020

सूचना

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बी०एड० पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों/ संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/ पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु (आगामी शिक्षा सत्र के लिये) अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण हेतु समय-सारिणी के सम्बन्ध में।

उत्तर प्रदेश शासन के संलग्न पत्र संख्या 6/2020/1018/सत्तर-2-2020-16(11)/2017 दिनांक 17.11.2020 के अनुपालन में विश्वविद्यालय परिक्षेत्र में आने वाले जनपद के अर्न्तगत उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बी०एड० पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों/ संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/ पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु आगामी शैक्षिक शिक्षा सत्र 2021-22 के लिये अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों की प्रक्रिया को पूर्णतः ऑनलाइन करने के सम्बन्ध में विकसित सॉफ्टवेयर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा क्रियाशील कर दिया गया है। एन०ओ०सी०/सम्बद्धता हेतु ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु ऑनलाइन वेबसाइट <https://henoc.upsdc.gov.in> पर प्रक्रिया का पालन करते हुये निर्धारित आवेदन/सम्बद्धता शुल्क जमा कर आवेदन पत्र की हार्डकॉपी विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायें।

शासन के निर्देशानुसार दिनांक 31.12.2020 तक विश्वविद्यालय में अनापत्ति के ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्ताव ही सम्बद्धता हेतु आगामी शिक्षण सत्र में विचारणीय होंगे।

संलग्नक : यथोपरि

कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. मीडिया प्रभारी।

3. श्री रविन्द्र गौतम, प्रभारी वेबसाइट।

Pandey
कुलसचिव

प्रेषक,

अब्दुल समद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

3. कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2लखनऊ: दिनांक: 21 दिसंबर, 2020

विषय:- उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बी0एड0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु (आगामी शिक्षा सत्र के लिये) अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण हेतु समय-सारिणी।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1018/सत्तर-2-2020-16(11)/2017 टी0सी0 दिनांक 17.11.2020 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बी0एड0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु (आगामी शिक्षा सत्र के लिये) अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण हेतु समय-सारिणी निर्धारित की गयी है।

2- इस संबंध में उक्त शासनादेश दिनांक 17.11.2020 के क्रम में सम्यक विचारोपरांत भूमि के संबंध में अभिलेखों के सत्यापन की आख्या, निरीक्षण आख्या पोर्टल पर आनलाइन ही प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

कृपया उपरोक्तनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

A.R. (A.R. 10/12/2020)

कुलसचिव

संख्या-1088 (1)/सत्तर-2-2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, श्री कुलाधिपति, उ०प्र०।
2. समस्त कुलपति, राज्य विश्वविद्यालय, उ०प्र०।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।
4. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन, लखनऊ।
5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री/निजी सचिव, मा० उप मुख्यमंत्री जी।
6. अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

जारी
17.11.20प्रेषक,
17/11/20मोनिका एस0 गर्ग,
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।2. कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।उच्च शिक्षा अनुभाग-2लखनऊ: दिनांक: 17 नवम्बर, 2020

विषय:- उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बी0एड0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु (आगामी शिक्षा सत्र के लिये) अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण हेतु समय-सारिणी।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उच्च शिक्षा विभाग में प्रक्रिया को सरल एवं पूर्ण पारदर्शी रूप से लागू किए जाने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या-905/सत्तर-2-2019-16(11)/2017 दिनांक 04.12.2019 द्वारा प्रदेश में नये महाविद्यालयों को प्रारम्भ करने एवं पूर्व से संचालित महाविद्यालयों में नये पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर शैक्षिक सत्र 2020-21 से एन0ओ0सी0 की प्रक्रिया ऑनलाइन निर्धारित की गयी है।

2- इस क्रम में नये महाविद्यालयों एवं पूर्व से संचालित महाविद्यालयों में नये पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्रदान करने की प्रक्रिया को पूर्णतः ऑनलाइन करने के संबंध में एन0आई0सी0 के सहयोग से विकसित सॉफ्टवेयर क्रियाशील कर दिया गया है और शैक्षिक सत्र 2021-22 से सम्बद्धता ऑनलाइन ही प्रदान की जायेगी।

3- इस संबंध में सम्यक् विचारोंपरान्त निर्णय लिया गया है कि शासनादेश संख्या-710/सत्तर-2-2020-16(165)/2012, दिनांक 14.11.2014 को अवकमित करते हुए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बी0एड0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु शैक्षिक शिक्षा सत्र 2021-22 के लिये उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा ऑनलाइन अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के निस्तारण हेतु निम्नवत् समय-सारिणी निर्धारित की जाती है :-

क्र०	कार्यवाही	शासन द्वारा निर्धारित सम्बद्धता के प्रकरणों को निस्तारित करने की समय-सीमा
1	विश्वविद्यालय में नये पाठ्यक्रमों हेतु अनापत्ति प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 31 दिसंबर तक। (1) 31 दिसंबर तक विश्वविद्यालय में अनापत्ति के ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्ताव सम्बद्धता हेतु आगामी शिक्षण सत्र में विचारणीय होंगे। (2) जो शिक्षण संस्थान समस्त अर्हताएं पूर्ण करते हैं, वे अनापत्ति एवं सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति हेतु एक साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं किन्तु ऐसे प्रस्तावों पर चरणबद्ध तरीके से ही कार्यवाही की जायेगी। इसे एन0ओ0सी0 निर्गत होने के पूर्व सम्बद्धता के प्रति प्रतिबद्धता/ आश्वासन नहीं माना जायेगा।
2	विश्वविद्यालय में ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि संबंधी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाना	दिनांक 31 जनवरी तक (1) खतौनी का सत्यापन। (2) संयुक्तता प्रमाण पत्र एवं नजरी नक्शा के लिए स्थलीय निरीक्षण। (3) सत्यापन उन बिन्दुओं तक होगा जो शासनादेश के अनुरूप हों अन्यथा यह माना जायेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुचित आपत्तियां लगाई जा रही हैं।
3	अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत किया जाना	दिनांक 15 फरवरी तक।
4	निरीक्षण मण्डल का गठन	दिनांक 05 मार्च तक। (1) अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा दिनांक 25 फरवरी तक निरीक्षण मण्डल गठन के संबंध में आवेदन किया जायेगा। (2) पैनल विश्वविद्यालय तैयार करेंगे, जिसमें सक्षम स्तर के विषय विशेषज्ञ होंगे तथा एक सदस्य, सचिव का नामांकन भी किया जायेगा, जिसका दायित्व निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। (3) पैनल में एक ही अधिकारी को बार- बार सम्मिलित न किया जाये। पैनल में अलग-अलग अधिकारियों को नामित किया जाय, जिससे निरीक्षण कार्यों में विलम्ब न हो। (4) पैनल में जो सदस्य निरीक्षण हेतु समय से न जायें तथा जिनकी सत्यनिष्ठा की शिकायत हो, उनके विरुद्ध मन्तव्य स्थापित करने हेतु उचित कार्यवाही की जाये। (5) पैनल सदस्यों के कार्य आचरण का वर्षानुवर्ष रिकार्ड रखा जाये।
5	निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या का प्रस्तुत किया जाना।	दिनांक 30 मार्च तक। (1) प्रस्ताव/अभिलेख की प्राप्ति चेक लिस्ट के अनुसार हो तथा प्राप्त कर्ता द्वारा स्पष्ट रूप से इंगित किया जाये। (2) निरीक्षण आख्या अपूर्ण एवं भ्रामक न हो। शासनादेश में जिन बिन्दुओं की पुष्टि की अपेक्षा है, उसके अनुरूप हो। यह सुनिश्चित करने का दायित्व सदस्य सचिव का होगा। (3) समिति का कोई सदस्य असहयोग करता है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करेगा।

6	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता ऑनलाइन प्रदान करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 15 अप्रैल तक।
7	शासन में अपील करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 30 अप्रैल तक।
8	शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 30 मई तक।

4- उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बी0एड0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/ पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु शैक्षिक सत्र 2022-23 एवं आगामी शैक्षिक सत्रों के लिये उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा ऑनलाइन अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के निस्तारण हेतु निम्नवत् समय-सारिणी निर्धारित की जाती है :-

क्र0	कार्यवाही	शासन द्वारा निर्धारित सम्बद्धता के प्रकरणों को निस्तारित करने की समय-सीमा (आगामी शिक्षा सत्र के लिए)	
		प्रथम चक्र	अन्तिम चक्र
1	विश्वविद्यालय में नये पाठ्यक्रमों हेतु अनापत्ति प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 31 अक्टूबर तक। (1) 31 अक्टूबर तक विश्वविद्यालय में अनापत्ति के ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्ताव सम्बद्धता हेतु आगामी शिक्षण सत्र में विचारणीय होंगे। (2) जो शिक्षण संस्थान समस्त अर्हताएं पूर्ण करते हैं, वे अनापत्ति एवं सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति हेतु एक साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं किन्तु ऐसे प्रस्तावों पर चरणबद्ध तरीके से ही कार्यवाही की जायेगी। इसे एन0ओ0सी0 निर्गत होने के पूर्व सम्बद्धता के प्रति प्रतिबद्धता/ आश्वासन नहीं माना जायेगा।	दिनांक 31 दिसम्बर तक। (1) 31 दिसम्बर तक विश्वविद्यालय में अनापत्ति के ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्ताव सम्बद्धता हेतु आगामी शिक्षण सत्र हेतु विचारणीय होंगे। प्रथम चक्र में उल्लिखित प्रक्रिया/ निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2	विश्वविद्यालय में ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि संबंधी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाना	दिनांक 15 दिसम्बर तक। (1) खतौनी का सत्यापन। (2) संयुक्तता प्रमाण पत्र एवं नजरी नक्शा के लिए स्थलीय निरीक्षण। (3) सत्यापन उन बिन्दुओं तक होगा जो शासनादेश के अनुरूप हों अन्यथा यह माना जायेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुचित आपत्तियां लगाई जा रही हैं।	दिनांक 31 जनवरी तक प्रथम चक्र में उल्लिखित प्रक्रिया/ निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3	अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत किया जाना	दिनांक 31 दिसम्बर तक।	दिनांक 15 फरवरी तक।

4	निरीक्षण मण्डल का गठन	दिनांक 15 जनवरी तक। (1) अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा दिनांक 05 जनवरी तक निरीक्षण मण्डल गठन के संबंध में आवेदन किया जायेगा। (2) पैनल विश्वविद्यालय तैयार करेंगे, जिसमें सक्षम स्तर के विषय विशेषज्ञ होंगे तथा एक सदस्य, सचिव का नामांकन भी किया जायेगा, जिसका दायित्व निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। (3) पैनल में एक ही अधिकारी को बार- बार सम्मिलित न किया जाये। पैनल में अलग-अलग अधिकारियों को नामित किया जाय, जिससे निरीक्षण कार्यों में विलम्ब न हो। (4) पैनल में जो सदस्य निरीक्षण हेतु समय से न जायें तथा जिनकी सत्यनिष्ठा की शिकायत हो, उनके विरुद्ध मन्तव्य स्थापित करने हेतु उचित कार्यवाही की जाये। (5) पैनल सदस्यों के कार्य आचरण का वर्षानुवर्ष रिकार्ड रखा जाये।	दिनांक 28 फरवरी तक। (1) अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा दिनांक 18 फरवरी तक निरीक्षण मण्डल गठन के संबंध में आवेदन किया जायेगा (2) प्रथम चक्र में उल्लिखित प्रक्रिया/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5	निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या का प्रस्तुत किया जाना।	दिनांक 15 फरवरी तक। (1) प्रस्ताव/अभिलेख की प्राप्ति चेक लिस्ट के अनुसार हो तथा प्राप्त कर्ता द्वारा स्पष्ट रूप से इंगित किया जाये। (2) निरीक्षण आख्या अपूर्ण एवं भ्रामक न हो। शासनादेश में जिन बिन्दुओं की पुष्टि की अपेक्षा है, उसके अनुरूप हो। यह सुनिश्चित करने का दायित्व सदस्य सचिव का होगा। (3) समिति का कोई 'सदस्य असहयोग करता है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करेगा।	दिनांक 31 मार्च तक। प्रथम चक्र में उल्लिखित प्रक्रिया/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता ऑनलाइन प्रदान करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 28 फरवरी तक।	दिनांक 15 अप्रैल तक।
7	शासन में अपील करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 31 मार्च तक।	दिनांक 15 मई तक।
8	शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 30 अप्रैल तक।	दिनांक 15 जून तक।

06

कृपया उक्त समय-सारणी एवं निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

17/11

(मोनिका एस0 गर्ग)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 1018 (1)/सत्तर-2-2020 तददिनांक

0/1

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, श्री कुलाधिपति, उ0प्र0।
2. संमस्त कुलपति, राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
4. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री जी।
6. अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

17/11

(अब्दुल समद)

विशेष सचिव।

0/1

Am
17.11.20